[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 47/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची में आने वाले और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल, जब उनका भारत में पुन: आयात किया जाए तो उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उतने सीमाशुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं.	**माल का विवरण**	**शर्त**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	निर्यात किया गया माल – (क) संघ द्वारा उद्ग्रहीत किसी सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क की वापसी के दावे के अधीन ;	निर्यात के समय अनुज्ञात सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क की वापसी की रकम ;
	(ख) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत किसी उत्पाद-शुल्क की वापसी के दावे के अधीन ;	निर्यात के समय मालों के आयात किए जाने के समय और स्थान पर राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की रकम ;
	(ग) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन रिबेट के दावे के अधीन	निर्यात के समय लिए गए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के रिबेट की रकम ;
	(घ) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के संदाय के बिना किसी बंधपत्र के अधीन	संदत्त न किए गए उत्पाद-शुल्क की रकम ;
	(ङ) शुल्क से छूट स्कीम (डीईईसी/अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए) या निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम (ईपीसीजी)	माल के आयात के समय और स्थान पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की रकम तथा ऐसे माल के लिए लागू निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए– (I) डीईईसी बही को अंतिम रूप से बंद नहीं किया गया है और प्रश्नगत आयात को डीईईसी बही

	के अधीन	से डीलॉग किया गया है ; अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए का मोचन नहीं किया गया है और प्राधिकारधारक को डीजीएफटी द्वारा निर्यात बाध्यता से उन्मोचित नहीं किया गया है ; (II) ईपीसीजी स्कीम की दशा में पूर्ण निर्यात निष्पादन की अवधि समाप्त नहीं हुई है और पुनर्आयात के संबंध में आवश्यक पृष्ठांकनों का अवसान हो गया है ; (III) आयातकर्ता ने पुन: आयात किए गए पारेषण के ब्यौरों से कारखाने, जहां मालों का विनिर्माण किया गया था या परिसर, जहां मालों की पूर्ति की गई थी, के भारसाधक सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उपायुक्त सीमाशुल्क और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को पुन: आयात के तथ्य के संबंध में संसूचित कर दिया था और मालों की निकासी के समय ऐसी संसूचना की तारीख डाली गई अभिस्वीकृति को प्रस्तुत किया है ; (IV) विनिर्माता - निर्यातक को ऐसे मालों की निकासी को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर का परिवहन बंधपत्र, जिसको आयात के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ निष्पादित किया जाना है, के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा, ऐसे बंधपत्र को उनके कारखाने या परिसर, जहां से मालों की पूर्ति की गई थी, में मालों के पुन: आयात की प्राप्ति के विषय में अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर रद्द किया जाएगा ।
2.	क्रम सं. 1 के अधीन आने वालों से भिन्न माल	कुछ नहीं ।

परंतु सहायक सीमाशुल्क आयुक्त/ सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि–

क) मालों का शुल्क छूट स्कीम (डीईईसी/अग्रिम प्राधिकरण/डीएफआईए) या निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम (ईपीसीजी) या ड्यूटी हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) या विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3 की किसी पुरस्कार स्कीम के अधीन निर्यात किए गए से भिन्न अन्य मालों का उनके निर्यात करने के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि, जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा यथास्थिति, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त विलंब के कारणों के लिए पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर अनुज्ञात करें, के भीतर पुन: आयात किया जाता है ।

ख) मालों का शुल्क छूट स्कीम (डीईईसी/अग्रिम प्राधिकरण/डीएफआईए) या निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम (ईपीसीजी) या ड्यूटी हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) या विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3 की किसी पुरस्कार स्कीम के अधीन निर्यात किए जाने या ऐसी विस्तारित अवधि, जो एक और वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा यथास्थिति, प्रधान

आयुक्त, सीमाशुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त विलंब के कारणों के लिए पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर अनुज्ञात करें, के भीतर निर्यात किया जाता है ।

ग) माल वही हैं, जिनका निर्यात किया गया था :

परंतु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे पुन: आयात किए गए मालों को, जिनका निम्नलिखित को निर्यात किया गया था, लागू नहीं होगी–

(क) किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम द्वारा या किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन यथा परिभाषित किसी मुक्त व्यापार जोन इकाई द्वारा ;

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57 या धारा 58 के अधीन, यथास्थिति, नियुक्त या अनुज्ञप्त किसी लोक भांडागार या प्राइवेट भांडागार द्वारा ;

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए–

(क) मालों को वही माल नहीं समझा जाएगा यदि उनका विदेश में गलन, पुन: चक्रण या पुन: ढालने के पश्चात् पुन: आयात किया जाता है ;

(ख) 'विदेश व्यापार नीति' से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 01/2015-2020 तारीख 1 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 अभिप्रेत है ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार